

Corrigendum

भोपाल शहर के 12 दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ताओं हेतु आमंत्रित किये गये आवेदन प्रपत्र की आवंटन शर्तों के बिन्दु क्र.04 के (अ) में “इंसुलेटेड वाहन मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद का होना अनिवार्य है,” वर्णित किया गया है। जिसे “इंसुलेटेड वाहन मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। यदि आवेदनकर्ता के पास आवेदन प्रस्तुत करते समय वाहन उपलब्ध नहीं है तो आवेदन स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित आवेदन निरस्त कर अमानत/ई.एम.डी राशि राजसात कर ली जावेगी,” पढ़ा जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी